

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 08 जून, 2021

विषय:-रु0 1000/-प्रति परिवार आर्थिक सहायता/भरण पोषण भत्ता धनराशि जनपद कोषागार से ई-कुबेर प्रणाली द्वारा ऑनलाइन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अन्तरण करने हेतु समय-सारणी का निर्धारण।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-347/एक-11-2021-4(जी)/2015टी0सी0-2 दिनांक 18-05-21 एवं 388/एक-11-2021-4(जी)/2015टी0सी0-2 दिनांक 07-06-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों एवं दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों को प्रति परिवार रु0 1000/- की धनराशि प्रति माह आर्थिक सहायता/भरण-पोषण भत्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश एवं प्रक्रिया निर्गत की गयी है।

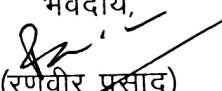
2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवासी श्रमिकों/कामगारों/मजदूरों का डाटा प्रत्येक दशा में आज दिनांक 08.06.2021 तक उपरोक्त शासनादेश संख्या-388, दिनांक 07.06.2021 के संलग्नक-1 के क्रमांक-11 (कोषागार पर भुगतान हेतु टोकन जनरेट करें) तक की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

3- दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, पंजीकृत श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि रोज कमाकर खाने वालों का डाटा शासनादेश संख्या-388, दिनांक 07.06.2021 के संलग्नक-1 के क्रमांक-11 (कोषागार पर भुगतान हेतु टोकन जनरेट करें) तक की कार्यवाही निम्नलिखित समयानुसार जनपदों द्वारा पूर्ण की जानी है:-

दिनांक	समय	जनपद का नाम
09.06.2021	प्रातः 11:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर।
10.06.2021	सायं 05:00 बजे से सायं 10:00 बजे	

	तक	
09.06.2021	सायं 07:00 बजे से कार्य पूर्ण होने तक	चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, सुलतानपुर, अमेठी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुरनगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज।
10.06.2021	दोपहर 01:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक	
10.06.2021	प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली।
10.06.2021	सायं 10:00 बजे के पश्चात कार्य पूर्ण हो जाने तक	

अतः उपरोक्त समयानुसार कोषागार पर भुगतान हेतु टोकन जेनरेट करने तक की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा संबंधित जेनरेटेड टोकन को शासन स्तर से निर्धारित तिथि व समय पर अप्रूव किया जायेगा जिससे सभी लाभार्थियों को धनराशि एक ही समय में अंतरित हो सके जिसकी सूचना अलग से उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

 (रणवीर प्रसाद)
 सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या— (1)/एक-11-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त/पंचायतीराज/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार/पंचायतीराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-11 को <http://shasanadesh.up.gov.in> वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. गार्ड फाइल।


 (राम केवल)
 विशेष सचिव।